हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

मंगलवार, 27 अगस्त, 2019/5 भाद्रपद,1941 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित :**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18; और

(ii) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-2019 ।

(2) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18; और

(iii) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, विश्वविद्यालय, पालमपुर के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ मुख्य प्रारूपकार, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-7/2015 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2019 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रसार अधिकारी (उद्योग), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-4/2013 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.07.2019 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, रेशम निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II (बी)2-2/2013 दिनांक 19.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.11.2017 को प्रकाशित; और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, मलबरी अधीक्षक/अनुसंधान सहायक/तकनीकी पर्यवेक्षक/वरिष्ठ रेशम निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:इण्ड-II(बी)2-8/2015 दिनांक 07.06.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.07.2019 को प्रकाशित ।

(4) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2015-16 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत हिमाचल पथ परिवहन निगम के 44वें वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के प्रथम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **अष्टम् प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **कार्मिक विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(iii) समिति के **21वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 14वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति के **13वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 29वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12)में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2019-20),** समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि **पशुपालन विभाग** की गतिविधियों से सम्बन्धित संवीक्षा पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

5. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 14) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्यांक 8)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2019
(2019 का विधेयक संख्यांक 9)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

श्री नरेन्द्र ठाकुर, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही **'हिम केयर'** व **'सहारा'** योजनाओं पर यह सदन विचार करे।"

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री विक्रमादित्य सिंह:

"to call the attention of the **Chief Minister** to the situation arising out of 'Dilution of Section-118 of Himachal Pradesh Land Tenancy and Reform Act, 1972 in view of abolition of Article 35A of Indian Constitution."

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री राम लाल ठाकुर
श्री रमेश चन्द ध्वाला
श्री बिक्रम सिंह जरयाल

प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्लास्टिक के उपयोग, अवैध कटान, खनन् व अन्य प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण को बढ़ रहे खतरे से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004
दिनांक: 26 अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(षष्टम् सत्र)

मंगलवार, 27 अगस्त, 2019/5 भाद्रपद, 1941 (शक्) के लिए निर्धारित

स्थगित एवं तारांकित प्रश्न सूची हेतु

शुद्धिपत्र

मद संख्या	शुद्धियां
*1352	"विलोप किया गया"
*1468	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री को "**मुख्य मन्त्री** पढ़ा जाए"।

शिमला-171004
दिनांक: **26** अगस्त, 2019

यशपाल शर्मा,
सचिव।

****